न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, मसौढ़ी।

धनरूआ थाना कांड संख्या–565/2022

जमानत आवेदन संख्या–241/2023

संजीव कुमार .... **आवेदक।**

बनाम्

बिहार सरकार .... **विपक्षी।**

आदेश दिनांक 29.08.2023

काराधीन आवेदक अभियुक्त **संजीव कुमार** की ओर से दिनांक–11.08.2023 को नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश रंजन द्वारा संचालित किया गया, जिसकी एक प्रति अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है।

आवेदक पर धनरूआ थाना काण्ड संख्या–565/2022, अंतर्गत धारा 420 भा0 द0 वि0, 56 बिहार खनिज अधिनियम एवं 15 पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसके संबंध में प्रस्तुत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। इस वाद के सूचक राजेन्द्र कुमार सिंह, खान निरीक्षक, पटना के पत्रांक 2362 दिनांक 16.09.2022 द्वारा थानाध्यक्ष धनरूआ को प्रेषित पत्र में सत्र 2021–22 में अवैध रूप से संचालित ईंट–भट्ठा मालिकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतू निर्देशित किया गया था, जिसके आधार पर आवेदक संजीव कुमार पर प्रस्तुत मामला उक्त धाराओं एवं अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था तथा कुल बकाया राशि मो0 2,30,000/– रूपया दर्शाया गया है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का जमानत आवेदन में संक्षेप में कथन है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में कोई अन्य अग्रिम जमानत या नियमित जमानत दाखिल नहीं किया गया है। यह कि आवेदक के कथनानुसार आवेदक के विरूद्ध पूर्व में दो मामले दर्ज है। यह कि आवेदक निर्दोष है और उन्हें इस वाद में झूठा फसाया गया है। यह कि आवेदक के विरूद्ध धारा 420 भा0द0वि0 का अपराध लागू नहीं होता है। यह कि आवेदक बकाया राशि अदा करने को तैयार है। यह कि आवेदक दिनांक 26.07.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

अपर लोक अभियोजक द्वारा नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक को सुना। सुनवाई के दौरान संबंधित थाना से कांड दैनिकी तलब की गई। अभिलेख, कांड दैनिकी एवं ई–चालान, बिहार सरकार, बी.टी.सी. 4 का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त के द्वारा निर्धारित बकाया चालान के माध्यम से संदाय किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 26.07.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

<u>न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, मसौढ़ी।</u>

<u>धनरूआ थाना कांड संख्या–565/2022</u>

<u>जमानत आवेदन संख्या–241/2023</u>

संजीव कुमार .... आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार .... विपक्षी।

<u>आदेश दिनांक 29.08.2023</u>

इन तथ्यों परिस्थितियों एवं कारावधी को ध्यान में रखते हुये आवेदक अभियुक्त **संजीव कुमार** को जमानत का लाभ देना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुये आवेदक के द्वारा 10,000/– रुपये राशि के समान राशि के दो जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा 437(3) दं0 प्र0 सं0 के शर्तों पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित
ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
मसौढ़ी।